


## बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार पटना  
(पशुपालन )

कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया।

### पूर्ण निविदा सूचना

जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के अधिन विभिन्न पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/एम्बुलेटरी भान में दैनिक उपयोग हेतु विभाग द्वारा अनुमोदित पशु दवाओं/रसायनों/नन मेडिसिनल आईटम के मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवंटन/प्राप्त होनेवाले आवंटन से पशु दवा/रसायन/नन मेडिसिनल आईटम क्रय हेतु निम्न शर्तों के अधीन निविदा की मांग की जाती है। निविदा को विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिनों तक की अवधि के कार्य दिवस के दिन संध्या 5:00 बजे तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/हाथों-हाथ प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा एक बड़े लिफाफा में "पशु दवा/रसायन/नन मेडिसिनल आईटम " अंकित कर लिफाफा पद्धति (एक में तकनीकी एवं दूसरे में वित्तीय निविदा डालकर) के आधार पर लिफाफा सील कर दवा निर्माता कम्पनी/दवा आपूर्तिकर्ताओं से मांग की जाती है। निविदा प्राप्त के अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को 11:00 बजे पूवाह में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोलकर दर एवं आपूर्तिकर्ता का निष्पादन किया जायेगा, जिसमें निविदादाता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित है। तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय लिफाफा क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा की विस्तृत शर्तें दवा की विशिष्टाएँ तथा सूची को विभागीय वेबसाईट [www.ahd.bih.nic.in](http://www.ahd.bih.nic.in) पर एवं जिला पशुपालन कार्यालय के सूचना पट्ट पर निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों पर देखा जा सकता है। विस्तृत जानकारी एवं शर्तों के लिए वेबसाईट [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।

 26.12.18

जिला पशुपालन पदाधिकारी,  
अररिया।



## पशुपालन विभाग

कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया।

अररिया जिलान्तर्गत पशु चिकित्सालयों/औषधालयों में दैनिक उपयोग हेतु पशु दवा एवं रसायनों के कय हेतु प्रकाशित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा शर्तें।

(क) तकनीकी निविदा भाग:-i


1. दवा/रसायन आदि के दर तथा आपूर्तिकर्ता का निर्धारण सीलबन्द द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर किया जायेगा। अलग अलग सीलबन्द लिफाफा में तकनीकी निविदा पशु दवा/रसायन अंकित कर इन्हे एक दूसरे बड़े सीलबन्द लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर "जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया पशु दवा/रसायन हेतु निविदा "अंकित होना चाहिए।
2. निविदा स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक अथवा हाथो हाथ निविदा प्रकाशन के 21 वें दिन के 5:00 बजे शाम के अन्दर जिला पशुपालन कार्यालय अररिया में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. तकनीकी निविदा में सामग्रियों उत्पादन का लाईसेंस **G.M.P./I.S.O.** विगत तीन वर्षों का इनकम टैक्स /रिटर्न ,2014-2015,2015-2016,2016-2017 /अद्यतन ऑडिटेड बैलेंस शीट/वाणिज्य कर चुकता प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/नन कनभिक्षन प्रमाण पत्र/वार्षिक टर्न ओवर एवं **TIN/GST** निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र तथा तीन वर्षों की **Performance certificate** 2014-2015,2015-2016,2016-2017 की स्वअभिप्रमाणित प्रति होना चाहिए।
4. निविदादाता को 10 (दस हजार) रुपया मात्र पशु दवा हेतु एवं 10 (दस हजार) रुपया केमिकल/नन मेडिसिनल सामग्री हेतु अग्रधन (अर्नेस्टन मनी) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के नाम से भुगतेय होगा। इसके अलावा किसी अन्य रूप में अर्नेस्ट मनी स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आपूर्तिकर्ता/निर्माता (दोनों) में से कोई भी किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा बिहार अथवा अन्य राज्यों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।
6. असफल निविदादाता को अर्नेस्ट मनी की राशि उनके अनुरोध पर लौटा दिया जायेगा। सफल निविदादाता के अर्नेस्ट मनी की राशि उनके द्वारा संतोषजनक सामग्री आपूर्ति एवं उनके फलाफल आने तक रोक रखी जायेगी। अर्नेस्ट मनी की राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नहीं होगा।
7. आपूर्ति की जाने वाले पशु दवा/नन मेडिसीनल की विशिष्टता तथा गुणवत्ता के लिए कम्पनी द्वारा अपने स्तर से किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला से निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना होगा। तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा आपूर्ति किये गये पशु दवा/नन मेडिसीनल को अलग से जाँच करायी जायेगी। विशिष्टता एवं गुणवत्ता में भिन्नता पाये जाने पर उनका भुगतान रोक दिया जायेगा। भुगतान की गई राशि वसूल कर लिया जायेगा तथा उक्त फार्म/आपूर्तिकर्ता को काली सूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा विभाग को की जायेगी।
8. सभी प्रकार के कागजात के सभी पृष्ठ स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए सभी शर्तों को मान्य होने का शपथ पत्र देना होगा।
9. आपूर्ति आदेश देने के पश्चात् सभी सामग्रियों को विलम्बतः 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर आपूर्ति जिला पशुपालन कार्यालय, अररिया में करना होगा जिसके लिए किसी प्रकार का अन्य राशि देय नहीं होगा।
10. सामान प्राप्ति के पश्चात् एवं विभाग से प्राप्त आवंटन के विरुद्ध राशि की निकासी होने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा। किसी कारण से भुगतान में विलम्ब होने के स्थिति में अलग से अन्य किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. आपूर्ति की जाने वाले सभी सामग्री के पैकिंग पर "**NOT FOR SALE. BIHAR GOVT. USE ONLY**" लिखा होना चाहिए।
12. भुगतान के समय ही श्रोतों से देय (GST) की राशि की कटौती कर लिया जायेगा। (GST) से छुट प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्ता/निर्माता के द्वारा वाणिज्य कर विभाग/सक्षम प्राधिकार से इस निविदा के संदर्भ में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों हेतु सक्षम प्राधिकार, द्वारा निर्गत इस आक्षय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों पर (GST) लागू नहीं है।



13. निर्धारित दर पर पूरी मात्रा में सामग्रियों की आपूर्ति नहीं कर पाने अथवा एक से अधिक निविदादाता के द्वारा समान्य न्यूनतम दर की स्थिति में विभिन्न आपूर्तिकर्ता के बीच आपूर्ति आदेश विभक्त कर दिया जा सकता है।
14. निर्माता कम्पनी द्वारा निर्गत प्राधिकार प्रमाण-पत्रा होना आवश्यक है।
15. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्रा देना होगा कि निविदा में अंकित दर बिहार के अन्य जिलों में उनके द्वारा प्रस्तुत दर से अधिक नहीं है।
16. निविदादाता द्वारा निर्माता कम्पनी का प्रोडक्ट सूची संलग्न करना अनिवार्य है।
17. निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के समय वित्तीय निविदा में अंकित दवा/नन मेडिसिनल समग्री का नमुना प्रस्तुत करना होगा।
18. प्रकाशित निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक बिना किसी पूर्व सूचना के जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा रद्द किया जा सकता है।
19. (क) पशु दवा के मामले में विगत तीन वर्षों का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर एक करोड़ रुपये होना चाहिए।  
(ख) नन मेडिसीन के मामले में विगत तीन वर्षों का न्यूनतम टर्न ओवर 25 (पचीस लाख) रुपये होना चाहिए।
20. निविदा सूचना में अंकित दवा के **Generic Name** के अतिरिक्त अन्य किसी नाम का दवा के वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. दवा के एक्सपायरी तिथि आपूर्ति के समय कम से कम 18 (अठारह) माह होना चाहिए।
22. किसी प्रकार का वैधानिक मामला अररिया जिले के क्षेत्राधीन होगा।

(ख) वित्तीय भाग:-

1. प्रत्येक सामानों का अलग अलग आपूर्ति दर एवं (GST) सहित कुल दर अंकित होना चाहिए।
2. आपूर्ति दर के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार (परिवहन/उनलोडिंग) का राशि देय नहीं होगा।

 26.12.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी,

अररिया।

## LIST OF MEDICINES AND HOSPITAL SPECIALTIES


### (A) NON MEDICINAL

1. Povidon Iodine Liquid I.P 500 ml Litter
2. Sodium Bicarbonate I.P 300 gm 400 gm
3. Copper Sulphate I.P 300 gm 400 gm
4. Magnesium Sulphate I.P 300 gm 400 gm
5. Iodine (Resublined) I.P
6. Potassium Iodide (I.P)
7. Distilled Water
8. Potassium Permagnate crystals I.P. (~~300 gm~~) 400 gm

### (B) MEDICINES

1. Oxytetracycline Injection (50gm/ml)- 100 ml
2. Enrofloxacin Injection 100ml
3. 17. Amitraj Solution 12.5% --- 1 Litter
4. Isometadinum Chloride Hydro Chloride Injection (2.50 mg)
5. Phenaramine Maleat Injection (50ml/100ml)
6. Dicyclomine Hydrochloride Injection (30ml/50ml)
7. Dexamethasone Injection (10ml)
8. Isoflu Peridone Acetate Injection (5ml/10ml)
9. Mineral Mixture (B.I.S) 1 kg
10. Organic Phosphate Injection (30ml/50ml)

नोट:- राशि की उपलब्धता एवं दवा के आवश्यकतानुसार आपूर्ति ओदश निर्गत किया जा सकेगा।

  
जिला पशुपालन पदाधिकारी,  
अररिया।